संख्याः 744 / xxvii(7)27(20) / 2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनः दिनॉकः 10 अक्टूबर, 2013

विषयः– पर्वतीय विकास भत्ते के स्थान पर राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान रूप से उत्तराखण्ड विकास भत्ता अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

पर्वतीय विकास भत्ता की अनुमन्यता विषयक शासनादेश संख्या–692 / वि0अनु–3 / 2002 दिनांक 11 फरवरी, 2003 में पर्वतीय क्षेत्र यथा जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं रूद्रप्रयाग का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं पौड़ी गढवाल के 1500 मीटर तथा अधिक ऊंचाई के क्षेत्र जबकि मैदानी क्षेत्र के यथा जनपद उधमसिंहनगर एवं जनपद हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल, देहरादून, टिहरी गढवाल और पौडी गढवाल के 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तद्पोरान्त वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–39 / xxvii(7)प0वि0भ0 / 2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 द्वारा पर्वतीय विकास भत्ते की दरों में पुनरीक्षण किया गया जिसमें 1000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पडने वाली घाटियों (भले ही इनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो, परन्तु इनका चिन्हीकरण हो गया हो) में पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य किया गया है। उक्तानुसार 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य नही हो पा रहा है इसी प्रकार जनपद उधमसिंहनगर एवं जनपद हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहां पर भी कार्यरत कार्मिकों को पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य नही हो पा रहा है।

अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–39 / xxvii(7)प0वि0भ0 / 2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार पूर्व की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य पर्वतीय विकास भत्ता के स्थान पर अब दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 से "उत्तराखण्ड विकास भत्ता" उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 में निर्धारित दर से पर्वतीय एवं मैदानी, दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।